

संख्या- 27/11/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)


तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 03 अक्तुबर, 2011

शुद्धिपत्र

विषय : श्रीमती आशा देवी दिनकर, प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

उपर्युक्त विषय में इस विभाग द्वारा जारी दिनांक 27.09.2011 का समसंख्यक पत्र के अनुच्छेद 3 में त्रुटि के कारण 'श्री हरेन्द्र सिंह विष्ट, स्टेनो' टंकित हो गया, जिसके स्थान पर अब 'श्रीमती आशा देवी दिनकर, प्रवक्ता' पढ़ा जाए।

असुविधा के लिये खेद है।


(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन समन्वय विभाग, देहरादून।

